



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० : 8बी/यू०पी०/०६/१७५/२०२३/एफ.सी./31

दिनांक : 01.07.2025

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Approach/150358/2021

विषय: जनपद हापुड़ में Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco-Tourism purpose b/w CH. 88+690 to 88+750 Khasra No-2531 of NH-09 R.H.S. in Village Gar Banger, Tehsil-Garhmukteswar, District Hapur हेतु 0.048 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 3472/11-सी-FP/UP/Approach/150358/2021, दिनांक 27.05.2025.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 3226/81-2-2023-800(117)/2023, दिनांक 29.08.2023 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के सम-संख्यक पत्र दिनांक 26.09.2024 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी/सूचनाएं मांगी गयी थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गयी है। उक्त के क्रम में आपको यह भी सूचित करना है कि:-

“In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1A read with section 3 (C) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980) (hereinafter referred to as Adhiniyam), the Central Government vide its Notification dated 29.11.2023 hereby notifies the guidelines specifying the terms and conditions to be abided by the State Government or Union territory, while considering exemptions provided under sub-section (2) of section 1A of the said Adhiniyam, namely:

9. The State Government or the Union territory Administration may authorise an officer of the level of Deputy Conservator of Forests or above to grant permissions in respect of proposals proposed for providing connectivity to the road and rail side amenities and habitations involving up to 0.1 ha of forest land.”

Hence, as per new Act and Rules, the instant proposal for approach road to retail outlet involving area less than 0.1 Ha of forest area (i.e. 0.048 ha.) may be processed by the State Govt. at their level.

भवदीया,

(विजया रात्रे)

सहायक वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।
5. प्रोपराईटर महादेव पिकनिक स्पॉट, इको टूरिज्म परपच गढ़बांगर हापुड़।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(विजया रात्रे)

सहायक वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]